एम. योगेंद्र और अन्य

बनाम

लीलाम्मा एन. और अन्य

(सिविल अपील सं 4818-4819 वर्ष 2009)

29 जुलाई, 2009

[एस. बी. सिन्हा और दीपक वर्मा, न्यायाधीशगण]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:

धारा 6 और 8- सहदायिक सम्पत्ति एकमात्र एकमात्र सहदायिक के नियंत्रण में - उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्रियों, उसकी मृत पुत्री की संतानों तथा द्वितीय विवाह से जन्मे पुत्र द्वारा सम्पत्ति में हिस्सों बाबत् दावा किया गया - निर्णीत पुत्र को सम्पत्ति विरासत में मिलेगी न की सहभागीदार के रूप में - इसलिए धारा 8 लागू होगी धारा 6 नहीं - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 5 और 16 साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 50।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 50 - सम्बंधों के बारे में राय-विवाह का तथ्य निर्णीत - रिश्तेदारों का साक्ष्य केवल इस दृष्टिकोण से ग्राह्य नहीं थी कि ऐसे व्यक्ति थे जो पक्षकरों के आचरण के बारे में गवाही दे सकते हैं अपितु वे पत्नी द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के भी गवाह थे।

उभयपक्षों के हित में पूर्ववर्ती एक 'के' नामक सहदायिक को वर्ष 1941 में हुए विभाजन में अपने भाई के साथ दावाकृत सम्पत्ति आवंटित की गई थी। उन्होंने दो बार शादी की। पहली पत्नी अर्थात 'पी' से उसे तीन पुत्रियां थी ओर दूसरी पत्नी अर्थात 'वाई' जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने 1960 में शादी की थी, से एक पुत्र 'डी' था। 'के' की मृत्यु वर्ष 1969 में हुई। वर्ष 1998 में उनकी पहली पत्नी की बेटियों में से एक बेटी की भी मृत्यु हो गई। सम्पत्ति के विभाजन हेतु दो वाद प्रस्तुत किये गये - एक 'के' की मृतक पुत्री के बच्चों द्वारा (अपीलार्थी) 1/3 हिस्से का दावा एवं 'के' की दूसरी शादी की इंकारी करते हुए एवं इसका वाद 'के' की प्रथम पत्नी की दोनो उत्तरजीवी पुत्रियों तथा दूसरी पत्नी के पुत्र 'डी' द्वारा किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि 'डी' की माता 'के' से विधिक रूप से विवाहित पत्नी थी तथा इसी आधार पर के तथा डी द्वारा एक सहदायिकी का निर्माण किया गया तथा अपीलार्थियों द्वारा के की पुत्रियों के उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि होने के कारण उसकी सम्पत्ति में 1/10 हिस्सा विरासत में प्राप्त किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय को यथावत रखा गया है।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वर्तमान अपीलों में अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि 'वाई' का विवाह उसके बेटे 'के' से वैध रूप से नहीं हुआ है, 'डी' को सम्पत्ति में कोई हिस्सा विरासत में नहीं मिला और चूंकि डी का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के

बाद हुआ था इसलिए वह सह-दायिक नहीं था और इसलिए अधिनियम की धारा 8 लागू होगी ना कि धारा 6।

अपीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :-

1.1 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया साक्ष्य विभिन्न रूपों में हो सकता है, सूचना साक्ष्य उनमें से एक हो सकता है। लेकिन इस एक निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से कि वैध विवाह किया गया है कि नहीं, अदालत को उस समय की परिस्थितियों पर विचार करने का अधिकार होगा। ऐसा मामला हो सकता है जहां विवाह के गवाह उपलब्ध नहीं हो। ऐसा भी मामला हो सकता है जहां विवाह को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। ऐसी स्थिति में, वे जिनके पास पक्षों के आचरण को देखने का अवसर था, वे अपने पास संभवतः संबंधित व्यक्तियों का आचरण के सम्बन्ध में मौजूद जानकारी बाबत् गवाही दे सकते है। साक्ष्य की अधिनियम की धारा 50 अधिनियम के उस अर्थ में अन्य प्रावधानों का एक अपवाद है। [पैरा 10 और 11] [47-डी-जी]

न्यायालय द्वारा बद्री प्रसाद बनाम उप समेकन निदेशक और अन्य। ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1557, तुलसा और अन्य बनाम दुर्घातिया और अन्य (2008) 1 स्केल 434 पर भरोसा किया गया।

1.2. प्रस्तुत मामले में, 'के की 'दो' बेटियों की साक्ष्य न केवल इस दि्ष्टकोण से ग्राहय थी कि वे ऐसी व्यक्ति थी जो 'के' तथा 'वाई' के आचरण के सम्बन्ध में साक्ष्य दे सकती थी बल्कि वे 'वाई' द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों की भी गवाह थी। उच्च न्यायालय ने स्वयं धारा 50 साक्ष्य अधिनियम की प्रयोज्यता पर ध्यान दिया है। इस मामले के परिप्रेक्ष्य में इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है कि 'के' का विवाह 'वाई' से हुआ था। [पैरा 11 और 12] [47-जी-एच; 48-ए, डी]

2.1. यह अब सुस्थापित है कि विभाजन में एकमात्र सह-भागीदार को आवंटित सम्पत्ति उसकी अलग सम्पत्ति होगी और वह तभी पुनर्जीवित होगी जब उसके एक पुत्र का जन्म होगा। [पैरा 16] [50-बी]

न्यायालय द्वारा न्यायिक द्ष्टांत धन कर आयुक्त, कानपुर और अन्य बनाम

चंद्र सेन और अन्य (1986) 3 एस. सी. सी. 567; शीला देवी और अन्य बनाम लाल चंद और अन्य 2006 (10) स्केल 75; भंवर सिंह बनाम पूरन और अन्य। 2008 (2) स्केल 355, पर भरोसा किया।

न्यायिक द्ष्टान्त एराम्मा बनाम वीरुपाना और अन्य। ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1879 को संदर्भित किया गया।

2.2. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 किसी ऐसे विवाह को प्रतिबंधित करती है जहाँ किसी भी पक्ष के विवाह के समय एक पति या पत्नी जीवित हो।

' के 'और' वाई ' का विवाह 1960 में हुआ और इस तरह, विवाह धारा 5 हिन्दू विवाह अधिनियम से बाधित है इसलिए 'डी' को सम्पत्ति सह-दायिक के रूप में विरासत में नहीं मिलेगी। [पैरा 13] [48-ई-जी]

2.3. 'डी' ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवर्तन में आने के बाद जन्म लिया था। हालांकि, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत एक विधिक कल्पना का सृजन करते हुए हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन ऐसे विवाह से जन्मे संतानों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में अपवाद का उल्लेख किया गया है इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संलग्न अनुसूची में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के कारण 'के' की मृत्यु की तारीख को उसकी सभी बेटियां तथा 'डी' समान हिस्सा प्राप्त करेंगे। 'डी 'समान हिस्सों में लेगा इसलिए, निचली अदालत और उच्च न्यायालय की भी यह राय सही नहीं थी कि 'डी' एक सहदायिक होगा और अपीलार्थी उक्त सम्पत्तियों में केवल 1/10वें हिस्से के उत्तराधिकारी होंगे। उक्त संपत्तियों में हिस्सेदारी अपीलार्थियों का हिस्सा 1/3 होगा। [पैरा 13-15 और 19] [49-G-H; 53-D; 48-G]

कानूनी संदर्भः

ए. आई. आर 1978 एस. सी. 1557	भरोसा किया	पैरा 9
(2008) 1 स्केल 434	भरोसा किया	पैरा 9
(1986) 3 एस. सी. सी. 567	भरोसा किया	पैरा 16
-2006 (10) स्केल 75	भरोसा किया	पैरा 17
2008 (2) स्केल 355	भरोसा किया	पैरा 17
ए.आई.आर.1966 एससी1879	संदर्भित किया	पैरा 18

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः वर्ष 2009 की सिविल अपील सं 4818-4819 बेंग्लोर

कर्नाटक उच्च न्यायालय वर्ष 2003 के आर.एफ.ए. संख्या 1403 तथा वर्ष 2003 की सिविल रिट संख्या 1404 में पारित निर्णय तथा आदेश से दिनांक 16/11/2007 से

जी. वी. चंद्रशेखर, एन. के. वर्मा, अंजना चंद्रशेखर-अपीलार्थियों के लिए।

एस. एन. भट, बी. सुब्रमण्य प्रसाद, अजय कुमार, वी. एन. रघुपति-उत्तरदाताओं के लिए।

इस न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एस बी सिन्हा द्वारा पारित किया गया।

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुप्रयोग की व्याख्या [जिसे इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'अधिनियम' के रूप में कहा जायेगा, की तुलना में इसकी धारा 6 के सम्बन्ध में इस अपील में सवाल उठाया गया है। यह प्रश्न बंगलौर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आर.एफ.ए. नम्बर 1403/2003 तथा 1404/2003 में पारित आदेश व निर्णय दिनांक 16.11.2007 से उत्पन्न होता है, जो कि अपीलार्थियों द्वारा प्रिंसीपल सिविल जज, सीनीयर डिवीजन, मैसूर के समक्ष दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत विभाजन के बाद में निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2003 मूल दावा संख्या 305/2000 तथा मूल दावा संख्या 567/2000 के विरूद्ध पेश अपीलों को खारिज करने के आदेश के विरूद्ध पेश की गई थी। उपरोक्त दोनो पूर्ववर्ती मुकदमे विभाजन हेतु दायर किये गये थे। इनमें से एक अपीलार्थी तथा दूसरा प्रत्यर्थी संख्या 1,2,4 द्वारा प्रस्तुत किया जाना निर्विवादित है। के डोड्डानन्जुंडैया दोनो मुकदमों के वादियों के हित में पूर्ववर्ती था उन्होने अपने भाइयों के साथ मिलकर सही ढंग से एक सह-दायिकी का गठन किया। उसे 1941 में या इसके आसपास विभाजन के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति आवंटित की गई थी। उन्होंने दो बार

शादी की। प्रथम पत्नी के नाम के बारे में हालांकि अभिलेखों से पता नहीं चलता है किन्तु अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उसका नाम पुट्टम्मा था। हालांकि उन्होंने वर्ष 1960 में फिर से एक यशोदम्मा से शादी की। उनकी पहली पत्नी से तीन बेटियां पैदा हुई - पार्वतम्मा, लीलम्मा ओर कमलम्मा। दिनेश,मूल उत्तरदाता संख्या 4 कहा जाता है कि उस का जन्म के डोड्डानन्जुंडैया के माध्यम से यशोदम्मा से 16.04.1961 को या उसके आसपास हुआ था। के डोड्डाननजुंडैया की मृत्यु 11.09.1969 में हो गई।

3. अपीलकर्ताओं ने यहाँ लीलम्मा, कमलम्मा और दिनेश के खिलाफ वादग्रस्त सम्पत्ति में 1/3 हिस्सते के विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया। अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि संयुक्त परिवार की कुछ संपत्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। नीलम्मा, कमलम्मा और दिनेश ने विभाजन के लिए एक और मुकदमा दायर किया। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष, जहाँ दोनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई की गई थी, अपीलार्थियों ने यहाँ एक तर्क उठाया कि यशोदम्मा का विवाह के डोड्डानन्जुंडैया से नहीं हुआ था। एक विशिष्ट विवाधक विरचित किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने यद्दपि मुख्य रूप से नीलम्मा और कमलम्मा द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया कि दिनेश उनका भाई था और उनके पिता और यशोदम्मा के बीच शादी हुई थी। साथ ही विचारण न्यायालय एक प्रमाण पत्र और एक समझौता विलेख तथा कुछ अन्य

दस्तावेजों के आधार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यशोदम्मा का विवाह वैध और कानूनी रूप से के डोड्डानंदजुंडैया से हुआ था।

4. अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि के डोड्डानन्जुंडैया और दिनेश ने एक संयुक्त सहदायिक संपत्ति का गठन किया। विद्दवान विचारण न्यायाधीश ने राय दी कि अपीलार्थी यहाँ एन. पार्वतम्मा के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि है जिनकी मृत्यु 15.09.1998 को हो गई थी, वे के डोड्डानान्जुंडैया द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों का 10 वां हिस्सा विरासत में प्राप्त करेंगे। इसके खिलाफ अपीलार्थियों द्वारा दो अपीलें की गईं। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय और डिक्री को बरकरार रखा।

5. हमसे समक्ष, श्री जी. वी. चंद्रशेखर, विद्वान अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वकील ने दो सवाल उठाए।

(1) यशोदम्मा की शादी के डोड्डानन्जुंडैया से नहीं हुई थी और किसी भी मामले में वैध रूप से विवाहित नहीं थी, इसलिए दिनेश को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिल सकता था।

(2) किसी भी मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनका जन्म हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद हुआ था वह सह-दायिक नहीं था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 लागू होगी न कि धारा 6।

6. श्री भट, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दूसरी ओर से तर्क दियाः

(क) तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष निकाला गया है कि यशोदम्म की शादी वैध रूप से के डोड्डानन्जुंडैया के साथ हुई थी, इस सम्बन्ध में विशेषत: नीलम्मा और कमलम्मा द्वारा अपने हितों के विपरीत की गई स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग अपेक्षित नहीं है, के दोदननजुंडैया की सम्पत्ति सहदायिक सम्पत्ति होने के कारण दिनेश भी सहदायिक बन गया था।

(ख) उसके जन्म पर उनकी प्रास्थिति एक सहदायिक की बनी रही और सहदायिक की प्रास्थिति होने पर 1956 के अधिनियम की धारा 6 लागू होगी न कि धारा 8।

7. विद्वत विचारण न्यायाधीश के समक्ष, अपीलकर्ताओं द्वारा के डोड्डानन्जुंडैया और यशोदम्मा के बीच विवाह के तथ्य के संबंध में विशाल दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। इनमें से एक जिस दस्तावेज पर विचारण न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया था वह मृत्यु के समय ली गई तस्वीर थी जबकि पी. डब्ल्यू. 1 ने तस्वीर प्रदर्श डी-5 में व्यक्तियों की पहचान करने से इनकार कर दिया जब उसे सामना कराया गया। डी. डब्ल्यू. 1-

नीलम्मा ने न केवल तस्वीर में दिख रहे लोगों की पहचान उनके पिता और यशोदम्मा और दिनेश के रूप में की गई।

8. विद्वत विचारण न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से उक्त दस्तावेजों पर भरोसा किया कि यशोदम्मा के डोड्डानन्जुंडैया के साथ शादी की थी। एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जिस पर निर्भरता की गई थी वह दिनांक 16.04.1971 को यशोदम्मा द्वारा निष्पादित एक समझौता विलेख था जिसके द्वारा के डोड्डानन्जुंडैया की कुछ संपत्तियों का दिनेश के पक्ष में निष्पादन किया गया था। यह एक पंजीकृत दस्तावेज था। यशोदम्मा को अभिभावक के रूप में नियुक्त किया गया था क्योंकि दिनेश नाबालिग था। उसमें दिनेश को के डोड्डानन्जुंडैया के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया था। उस समय उक्त दस्तावेज के निष्पादन को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पंजीकरण अधिकारी के समक्ष इसकी प्रस्तुति के समय कमलम्मा उक्त विलेख की गवाह थी। उक्त दस्तावेजों के हस्ताक्षरित भाग में भी पक्षों के संबंधों को स्पष्ट रूप से बताया गया था। इसके अलावा, इसमें अंकित किया गया था कि कमलम्मा बैंगलोर में दिनेश की देखभाल कर रही थी और वह उसे पाल रही थी। लीलाम्मा भी नाबालिग दिनेश के संरक्षक के रूप मे नियुक्त थी। विद्वान विचारण न्यायाधीश के साथ ही उच्च न्यायालय ने भी नीलम्मा और कमलम्मा की साक्ष्य पर धारा 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में भरोसा किया। निचली अदालत के सामने दिनेश के

पिता का नाम दर्शाते हुए दिनेश के दो जन्म प्रमाण पत्र दाखिल किए गए थे। एक प्रमाण पत्र में नंजुंडैया के रूप में दिखाया गया था और दूसरे में डोडम्मैया के रूप में जो उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण अदालत ने इस तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण दिए कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र सही था। इसके अलावा, स्कूल के रिकॉर्ड सहित कई अन्य दस्तावेज यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किये गये थे कि के डोड्डानजुंडैया का नाम दिनेश के पिता के रूप में लिखा था। उच्च न्यायालय ने तथ्य के उपरोक्त निष्कर्ष में दखल नहीं किया। उच्च न्यायालय कि, हालाँकि, उस दस्तावेज़ के संबंध में जिसे प्रदर्श डी-3 एक लग्नपत्रिका के रूप में प्रदर्शित किया था, यह राय थी :-

> " शुरुआत में यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें विवाद नहीं है कि अनुसूची में उल्लेखित संपत्तियाँ स्वर्गीय के. डोड्डानन्जुंडैया की पैतृक संपत्तियाँ थी, कि पुट्टम्मा, के. डोड्डानन्जुंडैया की पत्नी थी और उनकी वहां तीन बेटियां थी, जिनका नाम एन. पार्वतम्मा, एन. नीलम्मा और एन. कमलम्मा।इस मामले में महत्वपूर्ण विवाद यह है कि क्या के डोड्डानन्जुंडैया और उनकी दूसरी पत्नी यशोदम्मा के बीच वैध विवाह है। प्रदर्श डी-3 लग्न पत्रिका प्रतिवादियों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से एक दस्तावेज है जो दर्शित करता है कि के. डोड्डानन्जुंडैया और यशोदम्मा के बीच वैध विवाह

हुआ है। इस दस्तावेज़ लग्न पत्रिका पर लेखक के तथा इसके पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही तिथि अंकित नहीं है। इस दस्तावेज़ लग्न पत्रिका में विवाह की तिथि सोमवार, 29 मार्च, 1960 निर्दिष्ट की गई है सम्बन्धित वर्ष के लिए केलैण्डर से तुलना करने पर शादी का दिन, 29.03.1960 मंगलवार को पड़ता है और सोमवार को नहीं। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि हिंदू इस तरह के विवाह के शुभ आयोजन मंगलवार जैसे अशुभ दिन पर नहीं मनायेंगे। इसमें दस्तावेज यह निर्दिष्ट किया गया है कि रविवार 28 फरवरी 1960 कुछ पूजाओं जैसे देवता कार्य और विवाह का दिन है, इन कारणों से, प्रदर्श डी-3 लग्न पत्रिका के. डोड्डानन्जुंडैया और यशोदम्मा के विवाह के संबंध में संदेह पैदा करती है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।"

9. श्री चंद्रशेखर का यह निवेदन है कि उक्त निष्कर्ष के बावजूद जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि कोई शादी नहीं हुई थी, उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों को लागू करने में एक गंभीर अवैधता की। यह आग्रह किया गया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 उस पक्ष के लिए उपलब्ध है, जब विवाह के तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साक्ष्य

अधिनियम की धारा 50 सपठित धारा 114 के अधीन की जाने वाली उपधारणा एक खण्डनीय उपधारणा है। बद्रीप्रसाद बनाम उप निदेशक समेकन व अन्य [ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1557] तुलसा और अन्य बनाम दुर्घातिया और अन्य (2008) 1 स्केल 434 पर विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया। बद्री प्रसाद मामला में (ऊपर) इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

इस मामले में यह तथ्य सामने आते हैं कि "लगभग 50 वर्षों तक, एक पुरुष और एक महिला पति पत्नी के रूप में रहते थे। याचिकाकर्ता द्वारा इस विशेष अनुमति याचिका में दोनों के विवाह के तथ्य के लिए साहसी चुनौती दी गई जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जहां साथी पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहे हैं, यह विवाह के पक्ष में एक मजबूत उपधारणा है। हालांकि यह उपधारणा खंडन योग्य है तथा उस व्यक्ति पर इसका भार है, जो इस विधिक उपधारणा को नकारता है। कानून वैधता के पक्ष में है और अवैधता को नकारता है। याचिकाकर्ता के लिए श्री गर्ग का यह तर्क कि इतने लंबे कथित विवाह के बाद भी विवाह की रस्मों को साबित करने के लिए पादरी या अन्य गवाहों को परीक्षित नहीं करवाया गया है, किसी भी तरह विचार के योग्य नहीं हैं। अगर समाज में पति-पत्नी के रूप में रहने वाले पुरुष और महिला आधी सदी बाद, चश्मदीद गवाह द्वारा साबित करने के लिए मजबूर हैं कि वे वैध रूप से विवाहित थे, कुछ ही सफल होंगे। इस तर्क को नकार दिया जाना

चाहिए और हम बिना किसी झिझक के ऐसा करते है। विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती है।

लगभग यही दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा तुलसा का मामलों (ऊपर) में लिया गया है। जिसमें कहा गया हैः

> "14. गोकलचंद बनाम परवीन कुमारी [ए. आई. आर. 1952] में एस. सी. 238] इस न्यायालय ने पाया कि महिलाओं का पति और पत्नी के रूप में निरंतर सह-निवास और उनके साथ वर्षों तक इस तरह का व्यवहार विवाह की उपधारणा को बढ़ाता है लेकिन वह अनुमान जो लम्बे सह निवास से लिया जा सकता है। उसका खंडन किया जा सकता है और यदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो उस धारणा को कमजोर और नष्ट कर देती है, न्यायालय द्वारा उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
>
> हालाँकि, हमारी राय है कि इस मामले में दो न्यायालयों द्वारा प्राप्त तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए के डोड्डानन्जुंडैया और यशोदम्मा के विवाह का प्रमाण पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया है।

10. न्यायालय के समक्ष साक्ष्य विभिन्न रूपों में पेश हो सकता है - सूचना साक्ष्य उनमें से एक हो सकता है लेकिन एक निष्कर्ष पर पहुंचने का उद्देश्य

यह है कि क्या एक वैध विवाह किया गया है या नहीं, न्यायालय को इसकी परिस्थितियों पर विचार करने का अधिकार होगा। एक मामला ऐसा हो सकता है जहाँ विवाह के गवाह उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा मामला भी हो सकता है जिसमें विवाह को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो। यह मामला उपरोक्त स्थिति में है, उन व्यक्तियों की जानकारी जिनके पास उन पक्षों के आचरण को देखने का अवसर था। वे जानकारी को ध्यान मे रखते हुए गवाही दे सकते हैं, जिसके द्वारा वे संभवतः संबंधित व्यक्तियों के आचरण के बारे में राय बनाते है।

11. उस अर्थ में साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 अधिनियम के अन्य प्रावधानों के लिए एक अपवाद है। एक बार अभिनिर्धारित कर दिया गया है कि निलम्मा और कमलम्मा के साक्ष्य न केवल इस दृष्टिकोण से स्वीकार्य थे कि वे ऐसे व्यक्ति थे जो दोदननजुंडैया और यशोदम्मा के आचरण के बारे में गवाही दे सकते थे। जहां तक उनके बीच घनिष्ठ संबंधों को ध्यान में रखे बिना प्रास्थिति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यशोदम्मा द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेज भी सबूत है। हमारी राय में यह साक्ष्य इस सम्बन्ध में स्वीकार्य है। विद्वत विचारण न्यायाधीश ने गौर किया है और उस पर बडी संख्या में प्रस्तुत दस्तावेज पर भरोसा किया है। श्री चन्द्रशेखर द्वारा हमारे समक्ष यह पहले नहीं कहा गया है कि उक्त दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं थे, कुछ दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज़ होने के कारण अपने स्वयं के सही होने की उपधारणा अनुमान को पूरा करेंगे। स्कूल रिकॉर्ड

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में साक्ष्य में स्वीकार्य हो सकते है।

12. हमारी राय में केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय उस लग्न पत्रिका में कुछ कमियां पता लगा सका, परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटने के लिए वह निर्णायक सबूत नहीं है, उच्च न्यायालय ने स्वयं ध्यान दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 की प्रयोज्यता के नियम साक्ष्य के संबंध में अभिलेख पर लाये गये हैं। इस मामले के उस पहलू को देखते हुए, हमारी राय है कि इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है कि के डोड्डन्ननजुंडैया ने यशोदम्मा से शादी की थी।

13. वह प्रश्न जो अब हमारे विचार के लिए शेष रहता है वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और 8 के प्रावधान हैं। उक्त अधिनियम को हिन्दू उत्तराधिकार कानून में संशोधन और उत्तराधिकार की विधि को संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5, उस विवाह को प्रतिबंधित करती है जिसमें किसी भी पक्ष का विवाह के समय जीवित पति या पत्नी मौजूद हो। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से यह दर्शित है कि अप्रैल 1960 में किसी समय के डोड्डानन्जुंडैया और यशोदम्मा के बीच विवाह हुआ था। यदि ऐसा है, तो उक्त विवाह स्पष्ट रूप से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रभावित था। इसलिए, दिनेश संपत्तियों को सह-भागीदार के रूप में

विरासत में नही लेगा। हालाँकि, हिंदू विवाह अधिनियम ने एक अपवाद अवैध बच्चों की विरासत के मामलों में दिया है जिसमें कहा गया हैः

> "16. शून्य और शून्यकरणीय विवाह के बच्चों की वैधता- (1) इसके बावजूद कि विवाह धारा11 के तहत शून्य और अमान्य है, ऐसे विवाह का कोई भी बच्चा जो यदि विवाह वैध होता तो वैध होता, वैध होगा, चाहे वह बच्चा विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व पैदा हुआ हो या बाद में और चाहे विवाह के शून्य होने के सम्बन्ध में डिक्री दी गई हो या नहीं या अन्यथा विवाह को शून्य घोषित किया गया हो या नहीं।
>
> इस अधिनियम के तहत एक याचिका पर उक्त प्रावधान के कारण एक कानूनी कल्पना की गई है और उसे उसी हैसियत में रखा गया है जैसे वह पहले था।

14. इसलिए हम श्री चंद्रशेखर की इस दलील से सहमत हैं कि दिनेश के. डोड्डानन्जुंडैया के साथ सह-दायिक नहीं होंगे। यहां तक कि, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान पुराने हिन्दू विधि से आसान परिवर्तन के बारे में उपबंधित करते है। 1956 के अधिनियम के प्रावधान उससे पहले मौजूद हिन्दू कानून पर अभिभावी होंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में पुरूषों

के उत्तराधिकार के मामले में सामान्य नियमों का प्रावधान है-यह इस प्रकार हैः

" 8. पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम- निर्वसीयत मरते हुए हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार विकेंद्रीकृत होगी:

(क) सबसे पहले, उत्तराधिकारियों पर, जिसमें अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट रिश्तेदार हैं।

(ख) दूसरा, यदि प्रथम वर्ग का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अनुसूची के वर्ग II में निर्दिष्ट रिश्तेदार उत्तराधिकारी होंगे।

(ग) यदि कोई पूर्वज नहीं है, तो मृतक के वंशजो पर सम्पत्ति जायेगी।

15. के डोड्डानन्जुंडैया की मृत्यु की तारीख पर उसकी सभी बेटियां और दिनेश अधिनियम में संलग्न अनुसूची के खण्ड (1) में निर्दिष्ट रिश्तेदार होने के नाते बराबर हिस्सा लेंगे। दिनेश का जन्म हिंदू-उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद हुआ था, यह स्वीकृत तथ्य है।

16. श्री भट, हालांकि, यह तर्क देंगे कि के डोड्डानन्जुंडैया के पास जो संपत्ति थी, वह वर्ष 1948 में उसके व उसके भाई के बीच हुए विभाजन में उसे प्राप्त हुई थी, इसलिए वह सहदायिकी सम्पत्ति होगी, हम ससम्मान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्वीकार किये गये उक्त मत से सहमत नहीं है। इस न्यायालय के कई फैसलों को देखते हुए अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एकमात्र सहभागीदार के हाथों में विभाजन में उसे आवंटित सम्पत्ति उसकी अलग सम्पत्ति होगी और वह केवल तभी पुर्नजीवित होगी जब उसके एक पुत्र पैदा हो। यह कहना एक बात है कि सम्पत्ति एक सह-दायिकी सम्पत्ति बनी हुई है लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि यह पुर्नजीवित होती है। इन दोनो में अंतर बिल्कुल स्पष्ट और असंधिग्ध है। पूर्व के मामले में कोई भी बिक्री या अन्तरण जो एकमात्र उत्तरजीवी सहदायिक द्वारा किया गया है, वैध होगा जबकि सहदायिक के मामले में कर्ता द्वारा किया गया कोई भी अन्तरण वैध होगा। इस पहलु पर धन कर आयुक्त, कानपुर और अन्य बनाम चंदर सेन और अन्य (1986) 3 एस. सी. सी. 567 के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है। इस न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन करने पर निम्नलिखित राय दी गई है :

" यह स्पष्ट है कि हिंदू कानून के तहत जिस क्षण एक बेटा पैदा होता है, उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है और सहभागीदारी का हिस्सा बन जाता है। उसका अधिकार उसके पास पिता की मृत्यु या पिता से विरासत पर नहीं बल्कि उनके जन्म के साथ आता है इसलिए आम तौर पर जब भी पिता को किसी भी स्रोत से संपत्ति मिलती है चाहे दादा से या किसी अन्य स्रोत से चाहे अलग की गई संपत्ति हो या न हो, उसमें उसके बेटे का हिस्सा होता है और उसके बेटा और पोता और अन्य सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हिंदू परिवार बनाते है, उस संयुक्त हिन्दू परिवार का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन सवाल यह हैः क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 द्वारा यह स्थिति प्रभावित है और यदि ऐसा है तो कैसे? मूल तर्क यह है कि धारा 8 कुछ संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकारी इंगित करती है और उत्तराधिकारियों को प्रथम वर्ग में बेटा शामिल है लेकिन पोता नहीं। हालाँकि, इसमें पूर्व मृत पुत्र का पुत्र शामिल है। यह वो स्थिति है जिसने मुख्य रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दो निर्णयों में यह विचार लेने के लिए प्रेरित किया है कि बेटे को उसके पिता से विरासत में मिली संपत्ति से आय जिसे वह विभाजन द्वारा अलग कर चुका है,

उसका आकलन बेटे की व्यक्तिगत आय के रूप में किया जा सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत निर्वसीयत मृत्यु वाले पिता की संपत्ति उसके बेटे को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में हस्तांतरित की जाती है। उसके परिवार के कर्ता के रूप में नहीं। दूसरी ओर, गुजरात उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है।

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 18. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि निर्वसीयत मरते हुए हिंदू की संपत्ति का उत्तराधिकार की योजना निर्धारित की गई है अनुसूची उन उत्तराधिकारियों को वर्गीकृत करती है जिन पर ऐसी संपत्ति को विभाजित किया जाना चाहिए। प्रथम श्रेणी में निर्दिष्ट लोग अन्य सभी उत्तराधिकारियों को अपवर्जित करेंगे। पुत्र का पुत्र अनुसूची प्रथम का उत्त्तराधिकारी नहीं है और इसलिए वह अपने दादा के सम्पत्ति में इस प्रावधान के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। एक बेटे के बेटे की अपने दादा की सम्पत्ति में उसके पिता के जीवनकाल में अधिकार जो पूर्व हिन्दू विधि में था, वह इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से सहेजा नहीं

गया था, इसलिए हिन्दू कानून में ऐसी सम्पत्तिमें जन्म से अधिकार देने की पूर्व व्याख्या प्रभाव समाप्त हो गया है। न्यायालय ने आगे कहा कि एक संहिताकरण अधिनियम के अर्थ में जो कानून पहले लागू था, उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए और नये अधिनियम में उपयोग की गई भाषा तक ही सीमित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि ऐसा अर्थ लगाया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की योजना को एक स्व-निहित प्रावधान के रूप में निर्वसीयत मरते हुए हिंदू की संपत्ति का हस्तांतरण निर्धारित करने वाले रूप में लिया जाना चाहिए। इसलिए, वह संपत्ति जो एक हिंदू को उसके पिता की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकारी अध्रिनियम 1956 के लागू होने के बाद हस्तांतरित की गई थी वह हिन्दू अविभाजित परिवार की संपत्ति का गठन नहीं करती। इसने मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले के साथ साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऊपर उल्लिखित दो मामले जिनमें अपीलाधीन निर्णय भी शामिल हैं, में दिये गये मत का भी पालन किया-

17. यह सवाल फिर से शीला देवी और अन्य बनाम लाल चंद और अन्य. 2006 (10) स्केल 75 के मामले में इस अदालत

के सामने आया जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था:

"22. हम देख सकते हैं कि संसद द्वारा महिला उत्तराधिरियों को अधिकार प्रदान करने हेतु यहां तक की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रदान करने की दृष्टि से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया। इस तरह का प्रावधान 1987 में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लागू किया गया था। जाहिर है उत्तराधिकार 1989 में खुल गया था इसलिए संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान के तहत कोई आवेदन नहीं होगा। अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) सहदायिक की मृत्यु ने पर केवल पुरूष वंशज के उत्तराधिकार से संबंधित कानून को नियंत्रित करती है, उदाहरण के लिए बाबूलाल का प्रथम पुत्र एक सहदायिक होगा। लेकिन धारा 6 सामान्य नियम की उप धारा (1) से संबद्ध परंतुक सामान्य नियम का अपवाद है। इसलिए, वादी उत्तरदाता यह बताने के लिए उत्तरदायी थे कि लाल चंद के अलावा, सोहन लाल को भी इसका लाभ मिलेगा। जहाँ तक दूसरे पुत्र सोहन लाल का सम्बन्ध है, रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं लाया गया है कि वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रवर्तन में आने से पहले पैदा हुआ था। [भंवर सिंह बनाम बनाम पूरन और अन्य 2008 (2) स्केल 355] भी देखें

18. तथापि, श्री भट ने इस न्यायालय के निर्णय एराम्मा बनाम वीरुपाना और अन्य पर भरोसा किया जो ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1879 में प्रकाशित हुआ था। न्यायाधीश रामास्वामी पीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। हालाँकि, उस मामले के तथ्य में अधिनियम की धारा 8 को लागू होना नहीं माना गया था। क्योंकि इसमें अधिनियम के लागू होने से पहले पुरूष की मृत्यु हो गई। जैसा निम्नलिखित से दर्शित होता है :

> "(5) यह धारा की भाषा से स्पष्ट है कि यह केवल उस हिन्दू पुरुष धारक की सह-दायिकी संपत्ति पर लागू होता है जो अधिनियम के प्रारंभ के बाद मर जाता है। यह स्पष्ट है कि धारा 8 की भाषा का अर्थ अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए। हम तदनुसार मानते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं और जहां एक हिन्दू पुरूष की मृत्यु अधिनियम के लागू होने से पहले हो गई अर्थात जहां उत्तराधिकार अधिनियम से पहले खोला गया वहां अधिनियम की धारा 8 में लागू नहीं होगी।

19. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि विद्वत विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का भी यह मत सही नहीं था कि दिनेश एक सह-

भागीदार होगा और अपीलार्थियों को उक्त संपत्तियों में केवल 10वां हिस्सा विरासत में मिलेगा। वादी के शेयर उसमें एक तिहाई होंगे।

20. इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलों को बिना खर्च के अनुमत किया जाता है।

अपील स्वीकृत

चेतावनी : यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स टूल 'सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी समीक्षा गौतम, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सिमति उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्द्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्द्देश्यों के लिए, निर्णय का

अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्द्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।